

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय फार्मसी संस्थान,  
अगमकुआँ, पटना-7

पटना, दिनांक- 17/01/2018

**विषय:-** राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को विपत्र कोड-20-2210051050013 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रू० 48,30,000/- (रुपये अड़तालिस लाख तीस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के पत्रांक-615, दिनांक-29.12.2017 के आलोक में राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को विपत्र कोड-20-2210051050013 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 48,30,000/- (रुपये अड़तालिस लाख तीस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक 17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक 12.04.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105-एलोपैथी- 0013- प्रशिक्षण फार्मसी विपत्र कोड-20-2210051050013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।


6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

कमल



7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी उप कोषागार, पटना सिटी से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/फार्मसी-03/2017- 89(1)00 /स्वा0, पटना, दिनांक- 18/01/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




सरकार के विशेष सचिव

प्रशिक्षण फार्मसी, विपत्र कोड- 20-2210051050013 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0013.01.01 वेतन	4844000	3633000	1211000	4844000	0
0013.01.03 जीवन यापन भत्ता	6834000	5125500	1708500	6834000	0
0013.01.04 मकान किराया भत्ता	1063000	797250	265750	1063000	0
0013.01.05 परिवहन भत्ता	101000	75750	25250	101000	0
0013.01.06 चिकित्सा भत्ता	36000	27000	9000	36000	0
0013.01.07 अन्य भत्ता	2000	1500	500	2000	0
<b>योग- वेतन एवं भत्ते</b>	<b>12880000</b>	<b>9660000</b>	<b>3220000</b>	<b>12880000</b>	<b>0</b>
0013.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000	100000	100000	200000	0
0013.13.03 दूरभाष	20000	10000	10000	20000	0
0013.28.02 संविदा सेवायें	6000000	4500000	1500000	6000000	0
<b>कुल योग :-</b>	<b>19100000</b>	<b>14270000</b>	<b>4830000</b>	<b>19100000</b>	<b>0</b>

(रुपये अड़तालिस लाख तीस हजार)

8911/80  
17-01-18

  
17/1/18  
सरकार के विशेष सचिव